

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

संख्या 107/2024(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलायन्स कॉमर्शियल फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय- दि रुबी, 11th तल, नॉर्थ वेस्ट विंग, प्लॉट नं. सेनापति बापट मार्ग, दादर(वेस्ट), मुम्बई।

प्रार्थीवित्तीय संस्था

बनाम

श्री महेश खाण्डल पुत्र श्री गोवर्धन खाण्डल,

श्रीमती सरिता खाण्डल,

पता:- प्लॉट नं. 2, लक्ष्मी नगर, निवारु रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर

एवं 72-ए, न्यू कॉलोनी, सत्य नगर, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर।



Application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

पस्थित:-श्री गोपेश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 14.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रिलायन्स होम फाईनेन्स ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.05.2008 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेश खाण्डल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 2, लक्ष्मी नगर, निवारु रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 227.77 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 15,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। रिलायन्स होम फाईनेन्स ने जरिये असाईन एग्रीमेन्ट दिनांकित 31.03.2023 को अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,13,44,840/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.10.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री महेश खाण्डल के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 2, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 227.77 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक 14.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर